

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-08/2024

दिनांक 30/08/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 29.08.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना गहमर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 144/24 धारा 103(1),3(5) बीएनएस से सम्बन्धित आर0पी0एफ0 जवानों की हत्या करने वाले 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 30.08.2024 को प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र थाना गहमर गाजीपुर मय हमराहियान तथा थाना आर0पी0एफ0 पी0डी0डी0यू0 के उ0नि0 संदीप कुमार व उ0नि0 अश्वनी कुमार रे0सु0ब0 द्वारा गहमर रेलवे स्टेशन से अभियुक्त रवि कुमार कहार पुत्र धर्मेन्द्र प्रसाद निवासी मकान सं. 34 वार्ड सं. 19 नीमताला रोड छोटीखगौल थाना खगौल जिला पटना बिहार उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 144/24 धारा 103(1),3(5) बीएनएस में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त था, को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का कारण- दिनांक 20.08.2024 को आरपीएफ के दो आरक्षी को मारकर ट्रेन से बाहर फेंक देने के कारित।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता – 1. रवि कुमार कहार पुत्र धर्मेन्द्र प्रसाद निवासी मकान सं. 34 वार्ड सं. 19 नीमताला रोड छोटीखगौल थाना खगौल जिला पटना बिहार उम्र 27 वर्ष

गिरफ्तारी का विवरण – गिरफ्तारी का दिनांक 30.08.2024 समय 07.25 बजे गहमर रेलवे स्टेशन बहद ग्राम गहमर थाना गहमर जनपद गाजीपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास— मु0अ0सं0 144/2024 धारा 144/24 धारा 103(1),3(5) बी0एन0एस0 थाना गहमर जनपद गाजीपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र थाना गहमर गाजीपुर
2. उ0नि0 सुरेश कुमार मौर्य चौकी प्रभारी सेवराई थाना गहमर जनपद गाजीपुर
3. उ0नि0 संदीप कुमार रे0सु0ब0 पं0दीन दयाल उपाध्याय
4. उ0नि0 अश्वनी कुमार रे0सु0ब0 पं0दीनदयाल उपाध्याय
5. का0 अमित कुमार मौर्य थाना गहमर जनपद गाजीपुर

02. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '*

दिनांक 30.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 716/2012 धारा 498A/323/504/506 भादवि व 3/4 DP Act से सम्बन्धित प्रकरण में 03 नफर अभियुक्तगण 01. कमलेश कुमार राम पुत्र चुल्हन राम 02. कंचन उर्फ रिकू पत्नी राजेश 03. शिमला पुत्री चुल्हन निवासीगण शंकरपुर थाना बाँसडीह जनपद बलिया के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण कमलेश कुमार राम, कंचन उर्फ रिकू देवी, कु0 शिमला को धारा 498A भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5000-5000 रु0 प्रत्येक पर अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास, धारा 4 DP Act में 01 वर्ष का साधारण कारावास व 5000-5000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

03. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 30.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना गहमर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 76/92 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त 01. इशितयाक अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी अपसरिया थाना भोगनी (सट्टी) जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त. इशितयाक अहमद पुत्र अब्दुल हमीद उपरोक्त को धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि एवं 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

04. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 30.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना जमानिया जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 813/2015 धारा 363,366,376, भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 1.गोविन्द मल्लाह पुत्र गोगा मल्लाह निवासी कांशीराम आवास कॉलोनी चक्का बाँध थाना जमानिया जनपद गाजीपुर 2.सोनू गुप्ता पुत्र गनेश गुप्ता निवासी कांशीराम आवास कॉलोनी चक्का बाँध थाना जमानिया जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण 1 .गोविन्द मल्लाह पुत्र गोगा मल्लाह उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का कारावास तथा

12000 रू0 के अर्थदण्ड से व 02.सोनू गुप्ता पुत्र गनेश गुप्ता को धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का कारावास तथा 12000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।

05. ‘ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’

दिनांक 30.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना जमानिया जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 402/98 धारा 7/16 पी0एफ0 एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त 01.सुनील कुमार जयसवाल पुत्र मिश्री प्रसाद निवासी थाना जमानिया जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त सुनील कुमार जयसवाल पुत्र मिश्री प्रसाद उपरोक्त को धारा 7/16 पी0एफ0 एक्ट में न्यायालय में उठने बैठने व 6000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

06. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’

दिनांक 30.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 07/2008 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01नफर अभियुक्त 01. राजू यादव पुत्र सियाराम यादव निवासी बयेपुर देवकली थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त 01. राजू यादव उपरोक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 01 माह के कारावास एवं 2000 रू0 के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर